प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 14 सन 2021
अनवान :–

1. रतन कुमार पुत्र धनश्याम जाति खटीक साकिन कारिमपुरा तहसील झूझनू हाल निवास ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 23/11/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 270/134 की कुल 16.1870हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 22/22 की कुल 11.4580हैक एवं खाता संख्या 308/300 की कुल 4.5400हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रतनलाल पुत्र धनश्याम व रतनलाल पुत्र धड़सीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रतनकुमार पुत्र धनश्याम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम रतनकुमार पुत्र धनश्याम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो मजमे आम व सरपंच की तस्दीक के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 270/134 की कुल 16.1870हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 22/22 की कुल 11.4580हैक एवं खाता संख्या 308/300 की कुल 4.5400हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधि...
नोहर

जिसमें प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र धनश्याम व रतनलाल पुत्र धड़सीराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रतनलाल पुत्र धनश्याम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में

Scanned with CamScanner

भी दर्ज है। मजमे आम में उपस्थित मौजीज व्यक्तियों एवं सरपंच के द्वारा प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र धनश्याम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 270/134 की कुल 16.1870हैव व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 22/22 की कुल 11.4580हैव एवं खाता संख्या 308/300 की कुल 4.5400हैव भूमि में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र धनश्याम व रतनलाल पुत्र घडसीराम दर्ज के स्थान पर रतनकुमार उर्फ रतनलाल पुत्र धनश्याम उर्फ घडसीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .....मन्दरपुरा..

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/528 दिनांक :- 24-11-21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 14/2021 अनवानी रतनकुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–
1. रतन कुमार पुत्र धन्श्याम जाति खटीक साकिन कासिमपुरा तहसील झूझनू हाल निवास ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 270/134 की कुल 16.1870हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 22/22 की कुल 11.4580हैक एवं खाता संख्या 308/300 की कुल 4.5400हैक भूमि में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र धन्श्याम व रतनलाल पुत्र घडसीराम दर्ज के स्थान पर रतनकुमार उर्फ रतनलाल पुत्र धन्श्याम उर्फ घडसीराम संशेधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशेधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट मन्दरपुरा

Scanned with CamScanner